कोविड–19 के समयान्तर्गत स्थानीय आवश्यकतानुरूप भविष्यगामी योजनाएँ एवं कौशल शिक्षा

डॉ० ओमेन्द्र सिंह
चौ०चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ (उ०प्र०)

सारांशिका

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व एक वैश्विक महामारी से संघर्षरत है, जो कोविड–19 के रूप में समाज में पूर्ण रूप से ग्रस्त हो चुकी है। कोविड–19 के सम्पूर्ण विश्व में फैलने से आज मानव जीवन अस्त–व्यस्त हो चुका है। कोविड–19 की वजह से विश्व के देशों को अपने यहाँ सम्पूर्ण अथवा कतिपय शहरों में पूर्णरूप से लॉकडाउन करना पड़ा है। सम्पूर्ण लॉकडाउन से सभी वर्गों को अत्यधिक क्षति भी वहन करनी पड़ रहीं है। कोविड–19 संक्रमण के समयान्तर्गत विभिन्न देशों में निवास कर रहे भारतीय प्रवासियों को भारत सरकार द्वारा बन्दे मातरम् मिशन के तहत स्वदेश लाने का एक सराहनीय कार्य किया गया है। सम्पूर्ण भारत में लॉकडाउन होने के कारण समस्त राज्यों के औद्योगिक, राजकीय कार्य, प्राईवेट कार्य एवं व्यक्तिगत स्तर पर किये जाने वाले कार्य को बन्द कर दिया गया, जिससे विभिन्न राज्यों में प्रवासी मजदूरों को खाने–पीने एवं रहने की अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। इसी समयान्तर्गत समस्याओं का समाधान न होने के कारण अपने गृह राज्य/जनपद को वापस आने को मजबूर होना पड़ा। विभिन्न राज्यों से उत्तरप्रदेश में लगभग 23 लाख मजदूर वापस आये। इसी तरह से अन्य राज्यों में प्रवासी मजदूर अपने–अपने राज्यों में वापस आये हैं, जो भिन्न–भिन्न कौशल शिक्षा में पारंगत होंगे। ऐसे प्रवासी मजदूरों को चिन्हित करते हुए प्रत्येक राज्य को अपने यहाँ रोजगार उपलब्ध कराया जाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इन्ही सभी समस्याओं को देखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जाये और भविष्यगामी योजनाएं एवं कौशल शिक्षा स्थानीय स्तर पर व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने वाली हों।

मुख्य बिन्दु : कोविड–19 के समयान्तर्गत स्थानीय आवश्यकतानुरूप, भविष्यगामी योजनाएँ, कौशल शिक्षा एवं लॉकडाउन।

प्रस्तावना :

कोविड–19 से भारत भी अछूता नहीं रहा है। भारत में सर्वप्रथम केरल राज्य में इस महामारी ने अपना पैर फैलाना शुरू किया और देखते–देखते सम्पूर्ण भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मा0 प्रधानमंत्री द्वारा 22 मार्च, 2020 को जनता कर्फ्यू लगाने और तत्पश्चात् 25 मार्च, 2020 से सम्पूर्ण भारत में लॉकडाउन को प्रभावी करने के कारण समस्त देश में लॉकडाउन कर दिया गया। मा0 प्रधानमन्त्री ने अन्य देशों की अपेक्षा अपने देश के नागरिकों की जीवन रक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षात्मक कदम के तहत लॉकडाउन का निर्णय लिया, जिससे इस वैश्विक महामारी कोविड–19 से काफी हद तक हम सफलता प्राप्त करने में कामयाब हुए।

मा० प्रधानमन्त्री का सराहनीय कदम यह भी रहा है कि विदेशों में कार्यरत भारतीयों की सुरक्षा एवं जीवन रक्षा का ध्यान रखते हुए, बन्दे भारत मिशन चलाकर विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने का निर्णय लिया गया।

भारत में संचालित इतने बड़े स्तर पर रेल, राज्य परिवहन एवं अन्य परिवहन संसाधनों को लॉकडाउन के अन्तर्गत सम्पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया। देश में लगातार लॉकडाउन से कई विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। निरन्तर लॉकडाउन के कारण आज देश का प्रत्येक क्षेत्र यथा औधोगिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सरकारी कार्य और प्राइवेट कम्पनियों के समस्त कार्य प्रभावित हुए है। सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन की परिस्थतियों के कारण विभिन्न क्षेत्र बन्द होने के कारण वर्तमान में देश के एक बड़े हिस्से की आबादी को बेरोजगारी से संघर्ष करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजूदर जहाँ कार्य कर रहे थे, वहीं फंसे रह गये और उनके जीवन यापन के लिए किसी भी प्रकार का साधन न होने के कारण खाने–पीने, रहने आदि की असुविधा से उन्हें दो–चार होना पड़ा। सभी सम्बन्धित औद्योगिक कार्य बन्द होने और अन्य सभी कारोबार के बन्द होने से सम्बन्धित संस्थाएं प्रवासी मजदूरों को खाने–पीने व रहने आदि की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रही। प्रवासी मजदूरों को सम्बन्धित राज्यों द्वारा की गयी व्यवस्था भी अप्रयाप्त ही सिद्ध हुई। वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार का हल न निकलते देखकर प्रवासी मजूदरों को मजबूरी में अपने गृह जनपद/राज्य में वापस होने को विवश होना पड़ा। किसी भी तरह के आवागमन के साधन न होने के कारण प्रवासी मजदूर बिना किसी सुविधाओं के ही पैदल, साईकिल, रिक्शा, ट्रक आदि का सहारा लेकर अपने–अपने घरों को वापस आने को मजबूर हुए। रास्ते में विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों का सामना करते हुए अपनी यात्रा पूर्ण करने को प्रवासी मजदूर विवश थे। यहाँ तक कि भूख से तड़पते हुए नंगे पैरों से ही सिर पर अपने सामान का बोझा उठाते हुए अपने सफर को पूर्ण किया। कतिपय प्रवासी मजदूर अपने मंजिल प्राप्त न कर असमयक् घटनाओं के कारण दुर्भाग्यवश असमय ही काल के गाल में समाकर स्वर्ग को प्राप्त हुए।

निरन्तर लॉकडाउन होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा रहा है। अब इस लॉकडाउन के दौरान भारत को हुए आर्थिक क्षति की बात की जाये, तो इसमें कोई शंका नहीं कि लॉकडाउन की वजह से भारत को भी एक अभूतपूर्व आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। जिसकी क्षतिपूर्ति करने में अत्यधिक समय लग सकता है। आज भारत ही नहीं

बल्कि पूरा विश्व इस त्रासदी से त्रस्त हैं।

भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य के अन्तर्गत ही एक जनपद से दूसरे जनपद में निवास करते प्रवासी भारतीयों की बात है, जो निरन्तर प्रवासी भारतीय मजदूर पलायन कर अपने गाँव की ओर जा रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों को प्रवासी भारतीयों के लिए एक भविष्यगामी योजनाएँ बनाने की आवश्यकता है। भविष्यगामी योजनाएँ और कौशल शिक्षा इसी तरह की तैयारी की जाये जो प्रवासी अन्य राज्य/जनपद से आये हैं, उनकी रोजगार प्रदान करने में सहायक हों और स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हों।

वर्तमान में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान, विश्वविद्यालय, महू द्वारा दिनांकः 23.05.2020 को आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार की थीम ''भविष्यगामी योजनाएं एवं कौशल शिक्षा'' जो वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में एक सार्थक थीम है, पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा अपने विचारों में भविष्यगामी योजनाओं और कौशल शिक्षा पर चर्चा–परिचर्चा की गयी। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार का यह कदम सार्थक व सराहनीय है कि वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप थीम का चयन किया और एक सकारात्मक सोच के साथ बेविनार का आयोजन किया गया।

भविष्यगामी योजनाएँ एवं कौशल शिक्षा :

किसी देश या राज्य में भविष्यगामी योजनाएँ एवं कौशल शिक्षा व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बेविनार के अन्तर्गत चर्चा के समय ही विश्वविद्यालय द्वारा यह भी संज्ञान में लाया गया कि विश्वविद्यालय स्तर से 12 गाँवों को गोद लिया गया है, जिसके अन्तर्गत गोद लिए गये गाँवों में विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं। निःसन्देह, इसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्तर से विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार गाँवों को गोद लेकर कार्य किया जा रहा है। मा0 प्रधानमन्त्री जी का भी यही उद्देश्य है कि गाँवों को गोद लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाये। विश्वविद्यालयों की ओर से यह तो एक सकारात्मक पहल है कि गाँवों को गोद लेकर चहुमुँखी विकास किया जा सकता है और इस पहल की जितनी भी प्रशंसा की जाये, वह कम ही है, परन्तु विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा गाँवों को गोद लेने के साथ ही साथ यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि गोद लिए गए गाँवों के विकास का निरन्तर अवलोकन करते रहना होगा कि जिस उद्देश्य से गाँवों को गोद लिया गया है, वह पूर्ण हो रहा है अथवा नहीं। किसी भी योजना या कार्य की सार्थकता तभी है, जब उसका उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। यदि सम्बन्धित योजना की सार्थकता पूर्ण नहीं हो रही है, तो वह योजना समाज का विकास नहीं कर सकती है अर्थात् जिस भी योजना का कार्यन्वयन किया जाये, उसका निरीक्षण निरन्तर होते रहना चाहिए, जब ही हम समाज का विकास कर सकते हैं।

वर्तमान परिदृश्य में प्रवासी भारतीयों का उल्लेख किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जो प्रवासी एक राज्य से दूसरे राज्य को पलायन कर रहे हैं, वे अपना जीवन संघर्ष करते हुए अपने राज्य, शहर या गाँव में पहुँच रहे हैं। प्रवासियों के पलायन से भी शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों में आने वाले समय में एक गम्भीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे कम्पनियों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सभी क्षेत्रों को आगामी समय में आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम स्थानीय प्रशासन को अन्य राज्यों/जनपदों से आये प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लाखों की संख्या में आये प्रवासियों के उनके कार्यक्षेत्र को चिन्हित करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम प्रवासियों के कौशल को चिन्हित किया जाये। प्रवासियों के कौशल के अनुरूप स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाये।

स्थानीय स्तर पर ऐसे उत्पादनों को बढ़ावा देना होगा, जो स्थानीय नागरिकों द्वारा उत्पादन किया जा सकता हो। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना ही सबसे बड़ी चुनौती हैं। भविष्यगामी योजनाएं ऐसी तैयार की जाये, जो स्थानीय स्तर के कार्यों को बढ़ावा दे सके। जहाँ उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को लाभ प्राप्त हो सके। विभिन्न राज्यों/शहरों से पलायन करते हुए आये प्रवासी अपना कौशल विभिन्न–विभिन्न क्षेत्रों में रखते होगें, जिसको चिन्हित करते हुए प्रवासियों को रोजकार उपलब्ध कराकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रवासियों की रचनात्मक क्षमता का प्रयोग करते हुए विभिन्न उत्पादों को स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है, जिससे स्थानीय स्तर के व्यक्तियों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। विभिन्न क्षेत्रों के प्रवासियों को सरकार आर्थिक रूप से मदद प्रदान करते हुए स्वरोजगार भी प्रदान कर सकती है। जिसके अन्तर्गत मा0 प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत 20 लाख करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी, जिसको मा0 वित्त मन्त्री द्वारा विभिन्न 5 चरणों में सम्पूर्ण विवरण सहित देश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वर्तमान आवश्यकता के परिदृश्य में यह आर्थिक सहायता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, परन्तु यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मा0 प्रधानमन्त्री द्वारा प्रदान की गयी सहायता जरूरतमंद व्यक्ति तक अवश्य पहुँचे, जिससे आर्थिक सहायता का सही उपयोग किया जा सके।

कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसानों को शून्य लागत अथवा न्यूनतम लागत का सिद्धान्त अपनाते हुए उत्पादन के लिए बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे किसान अपने कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाकर देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते है। वैसे भी भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। समस्त किसानों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 2–2 हजार रूपये तीन किस्तों में कुल 6000 रूपये उनके खाते में सीधे अन्तरण किये जा रहे हैं, जो किसान को नकद रूप में एक राहत प्रदान किये जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। किसानों की स्थानीय स्तर पर उत्पादकता के अनुसार ही व्यवसाय को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जैसे गेहूं, चावल आदि का उत्पादन करने वाले

किसानों को गेहूं व चावल से बनने वाले उत्पादन को बढ़ावा देना होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान किया जा सके और स्थानीय वस्तुओं को उपयोग लाने से स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। आज देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए हमें अपने स्थानीय उत्पादनों को ही बढ़ावा देना होगा और हर स्तर पर स्थानीय वस्तुओं के उपभोग को बढ़ा देने की आवश्यकता है।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए समाज को प्रदान की जा रही शिक्षा में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा प्रदान किये जाने की जरूरत है। शिक्षा रोजगारपरक बनायी जाये और ऐसी शिक्षा हो, जो कम अवधि में पूर्ण होने के उपरान्त व्यक्तियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करा सके। जो स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके और समाज में उपयोगी साबित हो। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए केवल उपाधि प्रदान करने वाली शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहा जाता है। यदि वह स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक नहीं है अर्थात वर्तमान समय की मांग है, रोजगापरक शिक्षा प्रदान करने की। वर्तमान में हम स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को चिन्हित करते हुए शिक्षा प्रदान करने की तरफ कदम उठाने की आवश्यकता है। जिससे समाज में शिक्षा प्रदान करते समय स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाये। स्थानीय स्तर पर ही कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। पुनः यह महसूस किया जा रहा है कि गाँधी व पं० दीनदयाल जी के सिद्धान्तों को अपनाते हुए स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा दिया जाये और गाँव स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर तत्पश्चात् प्रदेश स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान किया जा सके।

भविष्यगामी योजनाएं एवं कौशल शिक्षा का महत्व :

कोविड–19 संक्रमण होने के कारण विभिन्न राज्यों व जनपदों से आये प्रवासी मजदूरों के लिए स्थानीय स्तर पर भविष्यगामी योजनाएं एवं कौशल शिक्षा से रोजगार प्रदान किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने से अन्य राज्यों/जनपदों से आये प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का काफी हद निराकरण किया जा सकता है। भविष्यगामी योजनाएं एवं कौशल शिक्षा के महत्व को निम्नांकित बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता हैः–

- विभिन्न राज्यों/जनपदों से आये प्रवासी मजदूरों के कौशल को चिन्हित कर व्यक्ति विशेष के कौशल की जानकारी प्राप्त हो जायेगी।
- कौशल से निपुण व्यक्तियों का अभिलेख तैयार हो जायेगा, जो भविष्य में लाभप्रद होगा।
- स्थानीय स्तर पर प्रवासी मजदूरों के कौशल के अनुरूप रोजगार प्रदान किया जा सकता है।
- स्थानीय स्तर पर उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को लाभ प्राप्त होगा।
- प्रवासी मजदूरों की कुशलता को उपयोग में लाकर काफी हद तक बेरोजगारी को कम किया जा सकता है।
- प्रवासी मजदूरों के समय का सदुपयोग करते हुए उत्पादन में वृद्धि होगी।
- स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक होगी।
- स्थानीय स्तर पर सर्वांगीण विकास किया जाना सम्भव होगा।
- रचनात्मक कौशल को रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है।
- स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास करने में सहायक होगी।
- कुटीर उद्योंगों में स्थानीय स्तर पर वृद्धि होगी।
- अधिक से अधिक व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करने में मदद होगी।
- कम अवधि के पाठ्यक्रमों से कम समय में ही दक्ष एवं कुशल व्यक्तियों को तैयार करने में मदद होगी।

समस्या का कथन :

कोविड–19 के संक्रमण के समय में भविष्यगामी योजनाएं एवं कौशल शिक्षा बेरोजगारी को काफी हद तक कम कर सकती है और कोविड–19 संक्रमण समाप्त होने के उपरान्त भी स्थानीय स्तर पर विकास करने में सहायक सिद्ध होगी। भारत में व्यक्तियों को कौशल शिक्षा प्रदान करते हुए स्वरोजगार बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर भविष्यगामी योजनाएं एवं कौशल शिक्षा को चरणवद्ध तरीके से लागू करने के लिए स्थानीय स्तर पर शोध करने की आवश्यकता है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं को चिन्हित करते हुए भविष्यगामी योजनाएं एवं कौशल शिक्षा का प्रारूप तैयार किया जा सके और आवश्यकतानुरूप ही भविष्यगामी योजनाएं एवं कौशल शिक्षा को लागू किया जा सके।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

कोविड–19 के संक्रमण काल में वैश्विक स्तर पर भविष्यगामी योजनाएं एवं कौशल शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। विभिन्न देशों में निवास कर रहे प्रवासियों एवं राजय के अन्तर्गत निवास कर रहे प्रवासियों के पलायन करने से भविष्यगामी योजनाएं एवं कौशल शिक्षा एक प्रारूप बनाकर लागू करने की महत्ती जरूरत है। भारत के विभिन्न राज्यों/जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र से पलायन कर गये मजदूर कोविड–19 संक्रमण काल में अपने गृह राज्यों/जनपदों में पुनः वापस आ गये है और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी को पूर्णतः समाप्त किया जाना सम्भव तो नहीं है, परन्तु भविष्यगामी योजनाओं एवं कौशल शिक्षा को कुछ हद तक बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। भारत के विभिन्न राज्यों/जनपदों से आये प्रवासियों के लिए भविष्यगामी योजनाएं एवं कौशल शिक्षा के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं :–

1. केन्द्र/राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों के लिए एक पंजीकरण किया जाना चाहिए, जिससे राज्यवार/जनपदवार उनकी संख्या से अवगत हुआ जा सके।

2. विभिन्न राज्यों/जनपदों में आये प्रवासी मजदूरों की दक्षता को चिन्हित किया जाना चाहिए।
3. स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं को चिन्हित किया जाना चाहिए।
4. स्थानीय स्तर की आवश्यकयताओं के अनुरूप रोजगार का सृजन किया जाना चाहिए।
5. प्रवासी मजदूरों को दक्षता के अनुरूप रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए।
6. स्थानीय स्तर पर ही कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
7. उद्योग ऐसे हो, जो स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हो।
8. स्थानीय स्तर पर किये गये उद्योगों से तैयार किये गये उत्पाद की आपूर्ति अन्य राजयों/जनपदों को करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
9. कृषि कार्य में संलग्न किसानों के लिए शून्य लागत या न्यूनतम लागत का सिद्धान्त लागू किया जाना चाहिए, जिससे किसानों की उपज में वृद्धि हो सके और अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
10. जैविक खाद्य का प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कृषि में लागत को कम किया जा सकता है।
11. कृषि कार्य में संलग्न किसानों को भी समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे किसानों की दक्षता को बढ़ाया जा सके।
12. अधिक उत्पादन वाले बीजों का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ सूची :

1. हिन्दुस्तान/अमर उजाला/दैनिक जागरण दैनिक समाचार पत्र।
2. विभिन्न दूरदर्शन चैनल।